राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली
नासिन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर - 29, फरीदाबाद, हरियाणा - 121 008.
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAX AND NARCOTICS
ZONAL TRAINING INSTITUTE, DELHI
NACIN COMPLEX, SECTOR - 29, FARIDABAD, HARYANA - 121 008.

क्षमता निर्माण आयोग)CBC) द्वारा उत्कृष्ट (★★★) रेटिंग से मान्यता प्राप्त।
Accredited with a Utkrisht (★★★) Rating by the Capacity Building Commission
CAPACITY BUILDING COMMISSION

परीक्षा सूचना

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के हवलदार; केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के बहु-कार्यकारी कर्मचारी ; तथा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में ₹1800/- ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026–27 हेतु निम्न श्रेणी लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा।

* * * * * * * * * * *

1. नासिन द्वारा पत्र संख्या NACIN/II/12/3/2026-EXAM-NACIN-PALASAMUDRAM दिनांक 26.03.2026 के माध्यम से अधिसूचित वर्ष 2026-27 के विभागीय परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026-27 हेतु निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन नासिन आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (जेडटीआई), दिल्ली (फरीदाबाद परिसर) को सौंपा गया है।यह परीक्षा केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के हवलदार; केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के बहु-कार्य कर्मचारी ; तथा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में ₹1800/- ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा का आयोजन 15 जून 2026 (सोमवार) को निर्धारित किया गया है।

2. इस परीक्षा में विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स) नियम, 2024 (डीईआर-2024) के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रश्नपत्र शामिल होंगे, जिन्हें जी.एस.आर. 773 (ई) दिनांक 18.12.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है:

प्रश्नपत्र	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	समय	अवधि (घंटे)
प्रश्नपत्र -I	सामान्य अंग्रेज़ी	100	50	सुबह 10:00 बजे – 11:00 बजे	1
प्रश्नपत्र -II	संख्यात्मक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान	100 (50+50)	50 (25+25)	दोपहर 12:00 बजे – 01:00 बजे	1
प्रश्नपत्र -III	हिंदी	100	50	02:00 अपराह्न – 03:00 अपराह्न	1

3. पेपर-II द्विभाषी (अंग्रेज़ी एवं हिंदी) होगा, तथा अभ्यर्थी इसके उत्तर अंग्रेज़ी अथवा हिंदी, किसी भी भाषा में दे सकते हैं। तथापि, पेपर-I अंग्रेज़ी भाषा में होगा और उसके उत्तर अंग्रेज़ी में ही देना अनिवार्य होगा, जबकि पेपर-III हिंदी भाषा में होगा और उसके उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य होगा।सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रातः 10:00 बजे ठीक प्रारंभ होगी। **संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण को, समय-समय पर संशोधित नवीनतम भर्ती नियमों के आधार पर, अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा। पात्रता संबंधी किसी भी प्रश्न या संदर्भ पर नासिन जेडटीआई दिल्ली द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

4. जिस संबंधित आयुक्तालय/निदेशालय में परीक्षा आयोजित की जानी निर्धारित है, वह एक अधिकारी (अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त /उपायुक्त /सहायक आयुक्त अथवा समकक्ष पदाधिकारी) को नामित करेगा, जो उक्त परीक्षा के संचालन हेतु समग्र प्रभारी के रूप में अधिकृत होगा।अधिकृत अधिकारी का विवरण तथा प्रश्न-पत्रों की मांग से संबंधित **"परिशिष्ट-क"** (जो इस सूचना के साथ संलग्न है) के

अनुसार आवश्यक जानकारी नासिन, जेडटीआई दिल्ली के सहायक निदेशक (परीक्षा) को exam-nacinztidelhi@gov.in ई-मेल पते पर भेजी जानी चाहिए।

5. प्रश्न-पत्रों की मांग तथा नामित अधिकृत अधिकारी का विवरण, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित हो, केवल ई-मेल के माध्यम से नासिन जेडटीआई दिल्ली के सहायक निदेशक (परीक्षा) को, **दिनांक 05.06.2026 तक** अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि **05.06.2026 के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।**

6. उक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र पासवर्ड-संरक्षित पीडीएॅफ़ प्रारूप में केवल ई-मेल के माध्यम से **दिनांक 12.06.2026 (शुक्रवार)** को नामित अधिकृत अधिकारी को भेजे जाएंगे, जिन्हें प्राप्त होने पर वह अधिकारी नासिन जेडटीआई दिल्ली को प्रत्युत्तर ई-मेल द्वारा इसकी प्राप्ति की पुष्टि करेंगे।

7. **पीडीएॅफ़ फ़ाइल खोलने हेतु पासवर्ड परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व, दिनांक 15.06.2026 को प्रदान किया जाएगा।** अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाए। प्रश्न-पत्रों की मांग इस ई-मेल आईडी exam-nacinztidelhi@gov.in पर भेजी जा सकती है ।

8. आवश्यकता सूचित करते समय परीक्षा के लिए जिस पद का उल्लेख है तथा जिस अभ्यर्थी का रोल नंबर है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।रोल नंबर संबंधित कैडर नियंत्रक कार्यालय द्वारा अपने-अपने आयुक्तालयों/सीमा शुल्क सदनों में अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे, जबकि निदेशालय अपने स्तर पर नामांकन के समय ही रोल नंबर आवंटित कर सकते हैं।रोल नंबर आवंटन हेतु प्रारूप (टेम्पलेट) नीचे दिया गया है:

उदाहरण:

क्रम संख्या	जीएसटी/सीमा शुल्क/निदेशालय	जीएसटी /सीमा शुल्क/निदेशालय का नाम	अनुक्रमांक
1	जीएसटी	अहमदाबाद दक्षिण	एलडीसी/जीएसटी/अहमदाबाद दक्षिण/01
2	सीएच	कांडला	एलडीसी/सीएच/कांडला/01
3	डी	डीजीएचआरडी	एलडीसी/डी/डीजीएचआरडी/01

9. **ऐसे सभी अनुरोध/आवेदन, जो आयुक्तालय/निदेशालय से प्राप्त होंगे, उन्हें केवल उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के माध्यम से ही नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को अग्रेषित किया जाएगा।** परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूचना परीक्षा पूर्ण होने के बाद केवल संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों को ही दी जाएगी। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि **"परिशिष्ट-क"** में सीसीए से संबंधित सही विवरण दर्ज किए जाएं।

10. सभी मुख्य आयुक्तों के कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी आयुक्तालय /सीमा शुल्क सदनों को इस परीक्षा संबंधी सूचना का व्यापक रूप से प्रसार करें। इस संबंध में नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद किसी भी आयुक्तालय से व्यक्तिगत रूप से सीधे कोई संवाद नहीं करेगा।

11. प्रतिनियुक्ति/ऋण आधार पर कार्यरत वे अभ्यर्थी, जो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र एवं इच्छुक हैं, उनका नामांकन उनके मूल आयुक्तालय द्वारा किया जाएगा। संवर्ग नियंत्रक प्रधान आयुक्त/आयुक्त से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उन पात्र अधिकारियों को सूचित करें जो अन्य निदेशालयों/संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, तथा नामांकन भेजते समय उनकी आवश्यकताओं को भी शामिल करें। ऐसे नामांकन, यदि अभ्यर्थी ने अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर परीक्षा देने के लिए आवेदन किया है, तो संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र " के साथ भेजे जा सकते हैं।

12. प्रश्नपत्र-I, प्रश्नपत्र-II और प्रश्नपत्र-III का पाठ्यक्रम परिशिष्ट "ख" के रूप में संलग्न है।

13. परीक्षा संबंधी सूचना सीबीआईसी, नासिन पालसमुद्रम और नासिन जेडटीआई दिल्ली (फरीदाबाद परिसर) की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जा रही है, जो इस प्रकार हैं: https://www.cbic.gov.in, https://www.nacin.gov.in, और https://www.nacin.gov.in/ZCDelhi/ZTIDelhi.

14. नासिन ,पालसमुद्रम के निर्देश पर नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा में अनुचित साधनों (नकल आदि) का उपयोग किया गया है या उनके उपयोग की अनुमति दी गई है, अथवा परीक्षा में किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या अन्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वह पूरी परीक्षा, किसी अभ्यर्थी की परीक्षा, किसी परीक्षा केंद्र की परीक्षा अथवा केंद्रों के समूह की परीक्षा को निरस्त कर सकता है।परीक्षा केंद्र के अधिकृत अधिकारी या पर्यवेक्षक को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वे नासिन ,पालसमुद्रम की स्वीकृति से, अनुचित साधनों के उपयोग की स्थिति में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की परीक्षा या संपूर्ण केंद्र की परीक्षा को रद्द कर सकते हैं।

15. उम्मीदवारों को यह सूचना या तो मुद्रित रूप में या उत्तर पुस्तिका के अग्र भाग पर रबर स्टैम्प लगाकर दी जाएगी कि यदि वे अपने नाम/पहचान का खुलासा करने का प्रयास करते हैं, अथवा परीक्षा के दौरान किसी भी स्रोत से नकल करते हैं या किसी व्यक्ति से (अंदर या बाहर) बातचीत करते हैं, या ऐसा कोई भी व्यवहार करते हैं जिसे परीक्षा निरीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा अनुचित साधन या नकल के रूप में माना जाए, तो उनकी परीक्षा को अमान्य (शून्य एवं निरस्त) घोषित कर दिया जाएगा।

किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी यदि वह उत्तर पुस्तिका में अपना नाम लिखता है या कोई ऐसा चिन्ह/संकेत/हस्ताक्षर आदि करता है, जिससे किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी की पहचान का संकेत मिलता हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में इस निर्देश का पालन न करने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण , आयुक्तालय/सीमा शुल्क सदन , नासिन तथा अभ्यर्थियों को अनावश्यक असुविधा, असहज स्थिति एवं संभावित कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा है। अतः यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित सीसीए की होगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, तथा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केंद्र के अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक/परीक्षा निरीक्षक को इस संबंध में समुचित रूप से अवगत करा दिया जाए।

16. **"परीक्षा हेतु अनुदेश"** संलग्न किए गए हैं, जो इस परीक्षा सूचना का अभिन्न अंग हैं।

17. यह पत्र अपर महानिदेशक, नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

02/06/2026

(डॉ. बिजेंद्र कुमार मीणा)
अपर निदेशक
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली (फरीदाबाद परिसर)

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक)
3. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी
4. सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक, नासिन जेडटीआई /आरटीआई
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी
7. सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक/निदेशक, सीबीआईसी के अधीन
8. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सैसटैट, नई दिल्ली
9. आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) – लेखापरीक्षा सहित
10. आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी)
11. मुख्य रसायनज्ञ, सीआरसीएल, नई दिल्ली
12. वेबमास्टर, नासिन और सीबीआईसी की वेबसाइटों पर अपलोड करने हेतु

परीक्षा हेतु अनुदेश

वर्ष 2026–27 के लिए, निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा—उन अधिकारियों के लिए जो केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के हवलदार; केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के बहु-कार्य कर्मचारी ; तथा केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो में ₹1800/- के ग्रेड पे वाले 'ग्रुप ग ' कर्मचारी हैं।

1. परीक्षा में नीचे बताए गए अनुसार तीन (3) प्रश्नपत्र होंगे: -

क्रम संख्या	प्रश्नपत्र	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रश्न-पत्र की तिथि एवं समय
1.	प्रश्नपत्र -I	सामान्य अंग्रेज़ी	100	50	15.06.2026, सुबह 10:00 बजे – 11:00 बजे (अनुमत समय: 1 घंटा)
2.	प्रश्नपत्र -II	संख्यात्मक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान	100 (50+50)	50 (25+25)	15.06.2026, दोपहर 12:00 बजे – 01:00 बजे (अनुमत समय: 1 घंटा)
3.	प्रश्नपत्र -III	हिंदी	100	50	15.06.2026, दोपहर 02:00 बजे – 03:00 बजे (अनुमत समय: 1 घंटा)

2. संबंधित आयुक्तालय/निदेशालय, जहाँ परीक्षा आयोजित की जानी निर्धारित है, एक अधिकारी को नामित करेगा , जो उक्त परीक्षा के संचालन हेतु समग्र प्रभारी) के रूप में अधिकृत होगा। वह अधिकारी परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित कराने तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।अधिकृत अधिकारी को परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु एक पर्यवेक्षक/परीक्षा निरीक्षक भी नामित करना होगा। साथ ही, प्रश्नपत्रों की आवश्यक संख्या में फोटोकॉपी पूर्ण गोपनीयता के साथ उनके व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में कराई जाएगी।

3. परीक्षा कार्य के अंतर्गत पर्यवेक्षक/ परीक्षा निरीक्षक का दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थियों को रोल नंबर आवंटित करें, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उत्तर पुस्तिकाओं जैसी मानक स्टेशनरी उपलब्ध कराएं तथा अधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार प्रश्नपत्रों की फोटोकॉपी कराएं।परीक्षा केंद्रों के पर्यवेक्षी अधिकारी/परीक्षा निरीक्षक को यह अधिकार भी प्राप्त होगा कि अनुचित साधनों के उपयोग की स्थिति में वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की परीक्षा अथवा संपूर्ण केंद्र की परीक्षा को निरस्त कर सकते हैं।

4. **उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण, मुद्रित रूप में अथवा "परिशिष्ट-ग" (जो इस सूचना के साथ संलग्न है) के अनुसार रबर स्टैम्प लगाकर अंकित किए जाएँगे: -**

1) परीक्षा का नाम
2) रोल नंबर
3) केंद्र का नाम
4) परीक्षा की तिथि और समय
5) प्रश्न-पत्र और विषय का नाम
6) इस्तेमाल की गई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/ परीक्षा निरीक्षक इन अतिरिक्त पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी अंकित करेंगे) ।

7) पर्यवेक्षक/ परीक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर (यह सत्यापित करने के बाद कि अभ्यर्थी द्वारा सभी विवरण सही-सही भरे गए हैं)

8) प्राप्त अंक और

9) पर्यवेक्षक/ परीक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर।

5. अभ्यर्थियों को यह सूचना या तो मुद्रित रूप में अथवा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर रबर स्टैम्प अंकित करके दी जाएगी कि यदि वे अपने नाम/पहचान प्रकट करने का कोई प्रयास करते हैं, या परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी स्रोत से नकल करते हैं, किसी व्यक्ति से अंदर अथवा बाहर बातचीत करते हैं, अथवा ऐसा कोई भी आचरण करते हैं जिसे परीक्षा निरीक्षक/पर्यवेक्षक/नासिन द्वारा अनुचित साधन या धोखाधड़ी माना जाए, तो उनकी परीक्षा शून्य एवं निरस्त घोषित कर दी जाएगी।

यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में अपना नाम लिखता है अथवा कोई ऐसा चिन्ह/प्रतीक/हस्ताक्षर आदि अंकित करता है, जिससे किसी भी प्रकार से उसकी पहचान का संकेत मिलता हो, तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

6. परीक्षा निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक परीक्षा संचालन के दौरान गोपनीयता, निष्पक्षता एवं अनुशासन बनाए रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग न हो, जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ प्राप्त हो और अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जाएगी कि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित हो। नासिन,पालसमुद्रम के निर्देशानुसार नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की सूचना प्राप्त होती है, तो वह संपूर्ण परीक्षा, किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी की परीक्षा, किसी एक केंद्र अथवा केंद्रों के समूह की परीक्षा को निरस्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह पर्यवेक्षकों/परीक्षा निरीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संस्तुति कर सकता है।

7. **पर्यवेक्षक/परीक्षा निरीक्षक, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियों का सत्यापन करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ (परिशिष्ट -ग में वर्णित अनुसार) पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही, अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ पर भी वे हस्ताक्षर करेंगे तथा प्रत्येक पृष्ठ को क्रम संख्या प्रदान करेंगे।**

8. अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा तथा परीक्षा संचालन से संबंधित विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्पष्टीकरण संबंधी मांग नासिन जेडटीआई दिल्ली (फरीदाबाद परिसर) द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया/संचालन से संबंधित किसी भी पत्राचार हेतु श्री विजय कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल: 9711461121) अथवा श्री गौरव कट्याल, अपर सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल: 9138399531), नासिन जेडटीआई दिल्ली, सेक्टर-29, फरीदाबाद-121008 से संपर्क किया जा सकता है या ईमेल exam-nacinztidelhi@gov.in पर पत्राचार किया जा सकता है।

9. परीक्षा संचालन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष के भीतर अथवा उसके आसपास मोबाइल फोन तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना अथवा साथ रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

10. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रश्नपत्र पूरा करने/जमा करने के बावजूद परीक्षा प्रारंभ होने के प्रथम 30 मिनट तक परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात भी परीक्षा अवधि के दौरान उचित कारण होने पर एक समय में केवल एक अभ्यर्थी को ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी।

11. प्रश्नपत्र-। एवं प्रश्नपत्र-।।। क्रमशः अंग्रेज़ी एवं हिंदी में होंगे। प्रश्नपत्र-।। द्विभाषी होगा तथा अभ्यर्थियों को उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा में लिखने का विकल्प उपलब्ध होगा।

12. **सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ, उचित रूप से टैग/बंडल करके, परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद को भेजी जाएंगी। इनका मूल्यांकन नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा।**

13. उत्तर पुस्तिकाएँ एवं उपस्थिति पत्रक, आवंटित रोल नंबरों के क्रम में व्यवस्थित करके, सीलबंद लिफाफे में भेजे जाएंगे।

14. नासिन जेडटीआई दिल्ली , फरीदाबाद अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक केवल संबंधित सीसीए को ही, परिशिष्ट-ए में उपलब्ध कराए गए ई-मेल पते पर प्रेषित करेगा।भर्ती नियमों तथा समय-समय पर मंत्रालय/बोर्ड द्वारा जारी प्रचलित निर्देशों के अनुरूप, यदि लागू हो, तो अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली छूटों को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा। यह परिणाम संबंधित सीसीए अथवा सीसीए द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा घोषित किया जाएगा तथा अभिलेख हेतु इसकी सूचना इस कार्यालय को भी भेजी जाएगी।

15. यह अपर महानिदेशक, नासिन जेडटीआई दिल्ली, फरीदाबाद के अनुमोदन के साथ जारी किया जा रहा है ।

02/06/2026

(डॉ. बिजेंद्र कुमार मीणा)
अपर निदेशक
राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली (फरीदाबाद परिसर)

परिशिष्ट 'क' - नामांकन हेतु प्रपत्र

1. आयुक्तालय/निदेशालय का नाम: ______________________________

2. संवर्ग नियंत्रक अंचल का नाम: ______________________________

3. परीक्षा केंद्र का नाम: ______________________________

4. संरचना की अधिकृत मेल आईडी: ______________________________ (विभागीय परीक्षा से जुड़ा कोई भी पत्र लेटर यहां बताई गई मेल आईडी से भेजा जाएगा)

5. नामित अधिकृत अधिकारी (अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त /उपायुक्त/सहायक आयुक्त या समकक्ष रैंक का अधिकारी) का नाम और आधिकारिक पता; जो परीक्षा के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और जिसे पीडीऍफ़ प्रारूप में प्रश्न पत्र ई-मेल द्वारा भेजे जाने हैं।

____

____

____

____

____

____

____

फ़ोन नंबर: ______________ फ़ैक्स नंबर: ____________ Gov.in मेल आईडी: ______________ वाट्सअप मोबाइल नंबर: ____________

6. केंद्र पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विवरण:

वर्ष 2026-27 के लिए निम्न श्रेणी लिपिक के संवर्ग में पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा						
क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	आवंटित अनुक्रमांक	प्रश्नपत्र I (सामान्य अंग्रेजी) (हाँ या नहीं)	प्रश्नपत्र II (संख्यात्मक अभियोग्यता और सामान्य ज्ञान) (हाँ/नहीं)	प्रश्नपत्र III (हिंदी) (हाँ/नहीं)

परिशिष्ट 'ख'

केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग के हवलदार एवं बहु-कार्य कर्मचारी तथा केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो के ₹1800/- ग्रेड पे वाले समूह 'ग' कर्मचारियों हेतु पदोन्नति परीक्षा।	
प्रश्नपत्र -I सामान्य अंग्रेज़ी (अनुमत समय: 1 घंटा) (अधिकतम अंक: 100)	त्रुटि पहचानना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी तथा अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की पहचान, एक शब्द के स्थान पर एक शब्द, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं का कर्तृवाच्य / कर्मवाच्य रूपांतरण, प्रत्यक्ष / परोक्ष कथन में परिवर्तन, वाक्यांशों का क्रम-विन्यास, गद्यांश में वाक्यों का क्रम-विन्यास, अपठित गद्यांश।
प्रश्नपत्र -II संख्यात्मक अभियोग्यता और सामान्य ज्ञान (अनुमत समय: 1 घंटा) (अधिकतम अंक: 100)	प्रश्न इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि वे अभ्यर्थी की मूलभूत संख्यात्मक समस्याओं को समझने, विश्लेषण करने एवं हल करने की क्षमता का परीक्षण कर सकें, साथ ही अभ्यर्थी की समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक जीवन में होने वाले अवलोकन एवं अनुभव से संबंधित विषयों, विशेष रूप से भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से संबंधित सामान्य जागरूकता का भी आकलन कर सकें।
प्रश्नपत्र III हिन्दी (अनुमत समय: 1 घंटा) (अधिकतम अंक: 100)	1. गद्यांश का अंग्रेज़ी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद। 2. वाक्यों का शुद्धिकरण तथा अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखना। 3. हिंदी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। 4. बोधगम्यता / अपठित गद्यांश।

परिशिष्ट 'ग'

(प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ हेतु प्रारूप)

परीक्षा केंद्र का पूरा पता		
1.	परीक्षा का नाम	
2.	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
3.	परीक्षा केंद्र का नाम	
4.	परीक्षा की तिथि और समय	
5.	प्रश्न-पत्र और विषय का नाम	
6.	इस्तेमाल की गई अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/ परीक्षा निरीक्षक प्रत्येक अतिरिक्त शीट पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी अंकित करेंगे)	
7.	पर्यवेक्षक/ परीक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर (उम्मीदवारों द्वारा भरी गई सभी जानकारियों के सत्यापन के बाद)	
8.	प्राप्तांक / अधिकतम अंक	
9.	परीक्षक के हस्ताक्षर	

नोट: यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखते हैं, या किसी भी प्रकार के ऐसे संकेत/चिह्न, हस्ताक्षर आदि का प्रयोग करते हैं जिनसे किसी भी तरह से उनकी पहचान का पता चल सकता हो, तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।